कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती संगीता मीणा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारणी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरिया जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती संगीता मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3301/2019 संगीता मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3301/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि उदयपुरवाटी/बडागांव/बाघोली/नेवरी/भाटीवाड, उदयपरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे।

अपीलार्थी एक ही स्थान पर बने रहना चाहती हैं जो किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।**

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती संगीता मीणा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। श्रीमती संगीता मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/संगीता मीणा/3301/2019 दिनांकः 20.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/जोधपुरं
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक सीकर/जोधपुरं

6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।

8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।

9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

10. श्री संगीता मीणा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।

11. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)